



राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives. Always!
सहकारिताओं की सहायता में सदैव तत्पर!

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION
A Statutory Corporation Under Ministry of Cooperation, Government of India
Personnel and Administration Division

Advt. No. 03/2026

No. NCDC: 4-3/2022-Admn.

Dated:20.04.2026

Recruitment of Young Professional in National Cooperative Development Corporation (NCDC) on Contract Basis

National Cooperative Development Corporation (NCDC), a Statutory Corporation of Govt. of India under the Ministry of Cooperation, was established by an Act of Parliament (NCDC Act of 1962) for economic development through cooperative societies. The major objective of the Corporation is to promote, strengthen and develop the farmers' cooperatives for increasing production and productivity and instituting post harvest facilities. **National Cooperative Development Corporation invites applications from eligible person(s) for the post of Young Professional (Fisheries) on contract basis as under:-**

Position	Young Professional (Fisheries)
No. of Position(s)	05
Location	1-Bengaluru, Karnataka; 1-Vijaywada, Andhra Pradesh; 1-Bhubaneswar, Odisha; 1-Kolkata, West Bengal; and 1-Chennai, Tamil Nadu
Mode of recruitment	Contractual
Period of Contract	3 Years
Remuneration	Negotiable (as per last/current pay drawn)
Age Limit	45 Years
Educational Qualification	Master's degree in Fisheries Science or Aquaculture with specialization in Fisheries or Marine Biology.
Experience	Minimum 5 years experience in the field of formulation or implementation of schemes or projects in Aquaculture or Mariculture activities or Fisheries post harvest processing and value addition or Aquaculture

Terms & Conditions:

- The number of vacancies advertised may vary as per requirement. The exact number of vacancies shall be determined as per requirement of the Corporation at the time of interview of the shortlisted candidates.
- The engagement shall be purely on contract basis and will not confer any right for regular appointment in NCDC or in its associated organizations. The contractual person shall not be entitled to any benefits/compensation/absorption/regularization of service in the National Cooperative Development Corporation. The contractual person shall not claim any benefit/compensation/ absorption/ regularization of service with NCDC under the provision of Industrial Disputes Act 1947 or Contract Labour (Regulation & Abolition) Act 1970.
- Professionals will be engaged initially for a period of 3 years which may be extended by 1 year for a maximum tenure of 4 years for providing high quality services on specific projects as per requirement. However, their continuation in their respective position beyond the first and subsequent years would be contingent on a satisfactory Annual Performance Review based on clearly defined Key Performance Indicators.

- The consolidated remuneration will be inclusive of applicable taxes and no other facility or allowance will be allowed. Remuneration will be paid on monthly basis. An annual increment subject to satisfactory performance.
- **Working Hours, Travelling, Daily Allowance, Leave etc.:** The contractual person shall be governed as per applicable provisions of NCDC for contractual appointments.
- In case the performance of the contractual person is not satisfactory, or she/he fails to perform/carry out the functions entrusted or otherwise, or she/he is found in disciplined or wanting, NCDC may terminate the contract at any time by giving one month's notice or one months' compensation in lieu thereof without assigning any reasons.
- The contractual person shall be required to produce original documents and certificates in support of her/his age, qualification and experience at the time of joining failing which her/his offer of engagement shall stands withdrawn.
- The educational qualification, age, experience etc. as stipulated in advertisement shall be determined as on the last date for submission of application.
- Mere fulfilling of eligibility criteria would not entitle an applicant to be called for interview/personal discussion. NCDC may make a preliminary short listing on the basis of academic records/experience etc. Only shortlisted candidates will be called for interview/personal discussion.
- NCDC reserves the right to cancel or withdraw this advertisement at any time without assigning any reasons whatsoever. Application can be submitted by sending duly filled prescribed proforma (enclosed) along with self-attested copies of all requisite documents and latest photo via email to career@ncdc.in by mentioning "Application for the post of Young Professional (Fisheries)" in the subject. **Last date for submission of application is May 5, 2026 (Tuesday).**
- Any resultant dispute arising out of this advertisement shall be subject to the jurisdiction of the Courts situated at Delhi only.



विज्ञापन सं० 03/2026

सं: रा.स.वि.नि.4-3/2022-प्रशा०

दिनांक: 20.04.2026

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (रा.स.वि.नि.) में अनुबंध के आधार पर युवा पेशेवर (मतस्य) की भर्ती

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एन.सी.डी.सी. (सहकारिता मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक सांविधिक निगम है, जिसकी स्थापना सहकारी समितियों के माध्यम से आर्थिक विकास करने हेतु एक संसदीय अधिनियम एन.सी.डी.सी. अधिनियम 1962) के अंतर्गत हुई। निगम का मुख्य उद्देश्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा फसलोत्तर सुविधाओं को गठित करने हेतु कृषक सहकारितों का संवर्धन, सुदृढीकरण तथा विकास करना है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम युवा पेशेवर (मतस्य) पद के लिए अनुबंध के आधार पर अर्ह व्यक्ति (व्यक्तियों) से आवेदन आमंत्रित करता है : -

पद	युवा पेशेवर (मतस्य)
पदों की संख्या	05
स्थान	1-बेंगलुरु, कर्नाटक; 1-विजयवाडा, आंध्र प्रदेश; 1-भुबनेश्वर, ओडिशा; 1-कोलकाता, पश्चिम बंगाल; एवं 1-चेन्नई, तमिल नाडू
भर्ती की विधि	संविदात्मक
अनुबंध की अवधि	3 वर्ष
पारिश्रमिक	परक्राम्य (पिछले/वर्तमान वेतन के अनुसार)
आयु सीमा	45 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	मत्स्य विज्ञान या जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) में स्नातकोत्तर (मास्टर) डिग्री, जिसमें मत्स्य या समुद्री जीवविज्ञान में विशेषज्ञता हो
अनुभव	जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) या समुद्री कृषि (मैरिकल्चर) गतिविधियों, या मत्स्य पशु-फसल प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन, या जलीय कृषि से संबंधित योजनाओं/परियोजनाओं के निर्माण या क्रियान्वयन के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव

नियम एवं शर्तें:

- विज्ञापित रिक्तियों की संख्या आवश्यकता के अनुसार घटाई-बढाई जा सकती है। रिक्तियों की सटीक संख्या का निर्धारण निगम द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के समय आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा
- नियुक्ति पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर होगी तथा एन.सी.डी.सी. या इससे जुड़े संगठनों में नियमित नियुक्ति का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। संविदात्मक व्यक्ति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में सेवा के किसी लाभ/नियमितीकरण/ मुआवजे/अवशोषण का अधिकारी नहीं होगा। संविदात्मक व्यक्ति औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधान के तहत एन.सी.डी.सी. के साथ सेवा में किसी भी लाभ/मुआवजे/अवशोषण/ नियमितीकरण का दावा नहीं करेगा।
- प्रोफेशनल्स को प्रारंभ में 3 साल की अवधि के लिए अनुबंधित किया जाएगा जिसे आवश्यकता के अनुसार 1 वर्ष हेतु एवं अधिकतम 4 वर्ष तक के लिए विशिष्ट परियोजनाओं पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने पर विस्तारित किया जा सकता है। हालांकि, प्रथम वर्ष के पश्चात् एवं बाद के वर्षों में उनके संबंधित पदों पर उनकी निरंतरता स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित संतोषजनक वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा पर निर्भर होगी।

- समेकित पारिश्रमिकलागू करों सहित होगा एवं कोई अन्य, सुविधा या भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे । पारिश्रमिक का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा । वार्षिक वेतन वृद्धि संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन है ।
- **कार्य के घंटे, यात्रा संबंधी, दैनिक भत्ता, अवकाश इत्यादी :** अनुबंधित व्यक्ति एन.सी.डी.सी. के संविदात्मक नियुक्तियों के लिए लागू प्रावधानों के अनुसार शासित होगा।
- यदि संविदात्मक व्यक्ति का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है अथवा वह सौंपे गए कार्यों को निष्पादितकार्यान्वित करने में / विफल रहता है या अन्यथा की दशा में अथवा वह अनुशासनहीन या अनुपस्थित पाया जाता है, तो एन.सी.डी.सी. एक महीने का नोटिस अथवा उसके बदले में एक महीने का मुआवजा देकर बिना कोई कारण बताए किसी भी समय अनुबंध को समाप्त कर सकता है।
- अनुबंधित व्यक्ति को कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी आयु, योग्यता और अनुभव के समर्थन में मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे, ऐसा न करने पर उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव वापस ले लिया जाएगा।
- विज्ञापन में यथा अनुबंधित शैक्षिक योग्यता आयु, अनुभव इत्यादि आवेदन ,प्रेषित करने की अंतिम तिथि के अनुसार निर्धारित किये जायेंगे ।
- मात्र अर्हता मापदंड की पूर्ती से अभ्यर्थी साक्षात्कार/व्यक्तिगत चर्चा हेतु पात्र नहीं होंगे । एन.सी.डी.सी. शैक्षणिक रिकार्ड, अनुभव इत्यादी के आधार पर प्राथमिक शॉर्टलिस्टिंग कर सकता है । केवल शोर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार/व्यक्तिगत चर्चा हेतु बुलाया जाएगा ।
- एन.सी.डी.सी. बिना कोई कारण बताए किसी भी समय इस विज्ञापन को रद्द करने या वापस लेने का अधिकार रखता है। आवेदन विधिवत रूप से भरे हुए निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में समस्त स्व सत्यापित दस्तावेजों एवं नवीनतम फोटो के साथ career@ncdc.in पर ई मेल के माध्यम से सब्जेक्ट लाइन में-“युवा पेशेवर (मतस्य) के लिए आवेदन” लिख कर प्रेषित किया जा सकता है। **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 मई 2026 (मंगलवार) है।**
- इस विज्ञापन से उत्पन्न कोई भी विवाद केवल न्याय क्षेत्र दिल्ली के अधीन होगा ।
